

कार्यालय उप पंजीयक निकुम्भ (राज.)

जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में जमीन जायदाद (कृषि भूमि) की दरें निर्धारण का विवरण

सूची 1

क्र.सं. जोन नः	नाम / स्थान / ग्राम / कस्बा	किस्म जमीन	जिला कमेटी द्वारा दिनांक 26 जून 2012 से प्रभावी दरें (प्रति एयर में)		राज्य सरकार के आदेशानुसार उप पंजीयक द्वारा प्रस्तावित दरें		बढ़ोतरी का प्रतिशत
			आबादी या सड़क के पास	आबादी या सड़क से दूर	आबादी या सड़क के पास	आबादी या सड़क से दूर	
1	2	3	6	7	8	9	12
1	आक्या, नान्दोली, ओरवाड़िया, उम्मेदपुरा, उठैल, कन्दरखेड़ा, करोली, कापड़ियों का खेड़ा, खरदेवला, खरमालिया, खानपुरा, गोपालसिंह का खेड़ा, जन्ताई, टपरियाखेड़ी, देवरी, पालाखेड़ी, पिनोदड़ा, भानुजा, भागल, रतनपुर, लुहारिया, बनाकिया, सिरोंडा	सिंचित	6516	5702	7168	6272	10%
		असिंचित	4480	4073	4928	4480	10%
		बीड़ / पड़त	2444	2036	2688	2240	10%
2	कचुमरा, निकुम्भ, पुनावली, भाटोली ब्राह्मण, सुथारखेड़ा, समानों का खेड़ा, पारलिया, उठैल खेड़ा	सिंचित	6735	5893	7408	6482	10%
		असिंचित	4630	4209	5093	4630	10%
		बीड़ / पड़त	2525	2105	2778	2315	10%
दिनांक / / को राज्य सरकार के आदेशानुसार उपपंजीयक द्वारा प्रस्तावित दरें							

dy  
जिला पंजीयक  
चित्तौड़गढ़

27.9.14  
उप पंजीयक  
निकुम्भ जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

3	जंगपुरा, पीण्ड, पिण्डरी	सिंचित	5568	4872	6125	5359	10%
		असिंचित	3828	3480	4211	3828	10%
		बीड़/पड़त	2088	1740	2297	1914	10%
4	कुआ बिना कनेक्शन	—	160022	—	184025	—	15%
5	कुआ कनेक्शन सहित	—	200029	—	230033	—	15%
6	दयुबवेल	—	200029	—	230033	—	15%

दिनांक / / को राज्य सरकार के आदेशानुसार उपपंजीयक द्वारा प्रस्तावित दरें

- 1 औद्योगिक प्रयोजनार्थ खरीदी जाने वाली जमीन की दर संबंधित क्षेत्र में रिको द्वारा निर्धारित पांच कि.मी. दायरे में स्थित भूमि का मुल्यांकन रिकों औद्योगिक क्षेत्र के लिये निर्धारित दर के आधार पर तथा अन्य समस्त मामलों में कृषि भूमि की दर का दो गुना दर से गणना की जावेगी।

जेला प्रपंजीयक  
चित्तौड़गढ़

27.9.14  
उपपंजीयक  
निकुम्भ निचुम्भ  
चित्तौड़गढ़ (राज०)

## कार्यालय उप पंजीयक निकुम्भ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में जमीन जायदाद (आवासीय एवं व्यवसायिक) की दरें निर्धारण का विवरण (प्रतिशत फीट)

सूची 2										
क्र. नं.	नाम स्थान / ग्राम	उपपंजीयक द्वारा प्रस्तावित दरें 26 जुन 2012 (से प्रभावी दरें)				राज्य सरकार के आदेशानुसार उप पंजीयक द्वारा प्रस्तावित दरें				बढ़ोतरी का प्रतिशत
		आवासीय		व्यवसायिक		आवासीय		व्यवसायिक		
		सड़क के पास	सड़क से दूर	सड़क के पास	सड़क से दूर	सड़क के पास	सड़क से दूर	सड़क के पास	सड़क से दूर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कृषि उपज मण्डी से बस स्टेण्ड तक, बस स्टेण्ड से पिपला बावजी तक, बस स्टेण्ड से लक्ष्मीनारायण मन्दिर तक, गणेश दरवाजा से बावड़ी दरवाजा तक, बस स्टेण्ड से मालीयों के मन्दिर वाली गली और बस स्टेण्ड से सामयिक भवन और पिंजारा गली एवं मेहता गली	188	173	1404	1292	216	199	1615	1486	15%
2	बस स्टेण्ड से बावड़ी दरवाजा तक (बाहरी रास्ता ) बर्धमान नगर से बावड़ी दरवाजा से गुजरों का मोहल्ल हरिजन बस्ती मेंतरों की गली खटीक मोहल्ला पुर्बियों की बस्ती नई आबादी व गोरा बावजी तक दोनो तरफ	120	94	892	782	138	108	1,026	899	15%
3	उम्मेदपुरा	188	107	825	668	216	123	949	768	15%
4	पुनावली भाओली खेरमालिया करोली पिनोदडा ओरचाडिया जन्तई देवरी उंठेल खेडा रतनपुर कलन्दर खेडा पिण्डरी जंगपुरा नान्दोली टपरिया खेडी सुथारों का खेडा पारलिया	69	55	825	668	79	63	949	768	15%
5	पाला खेडी कचुमरा लुहारिया समानो का खेडा वानकिया भागल उंठेल खानपुरा सिरोड आक्या	68	54	825	668	78	62	949	768	15%
6	कापडियों का खेडा, गोपाल जी का खेडा	158	90	1,077	871	182	104	1,239	1,002	15%

दिनांक 30.9.14 को डी.एल.सी को डेब्ट में लिये गये निर्णय द्वारा प्रस्तावित दरें निर्धारित  
गये निर्णय से अन्तर्गत गणना कर फीट कर प्रियता गया जो सही है।

दिनांक 30.9.14 को आयोजित डी.एल.सी को डेब्ट में लिये गये  
निर्णय द्वारा से अन्तर्गत परिवर्तित भरे दिनांक 1-10-14 से  
समावेश रहेगी

जिला पंजीयक

जिला पंजीयक  
निकुम्भ

उप पंजीयक  
निकुम्भ  
जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)